फर्द अहकाम

जगदीश बनाम V/S सत्यनारायण कौरव

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

71/2016 प्रार्थना पत्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17-8-17 वकील अपपक्ष उ० द्वि० ग्राईटल व तस्वी अप्रार्थीगण को अवसर था। पत्रावली दिनांक 8-9-17 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	08-9-17 वकील अपपक्ष उ० द्वि० P.O.सा० देरी से पधारे हैं गत आदेश की पालना के दिनांक 13-9-17 को पेश हो। प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	13-9-17 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थी अथवा वकील अपपक्ष का निवेदन रहा कि प्रकरण प्रकाश के दिनांक 3-8-16 से तस्वी पेश नहीं की गयी है अतः आदेश 09 R5 के आधार पर खारिज किया जावे। हमने बहस सुनी प्रार्थना पत्र 09 R5 CPC के तहत खारिज किया जाकर अंबर से आर वी एक किया दाखा रहे। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	13/10/17 (बिरंजीलाल एस०)